झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग राँची ।

पुनरीक्षितवाद/ अपीलवाद   संख्या......08.......   वर्ष 20.24....

विविधवाद/ प्रथम अपील

वाद प्राप्त की तिथि
28.02.2024.

बनाम

अपीलकर्त्ता श्री कार्तिक सरदार
पिता-स्व० परेश सरदार, ग्रा०- गोभिया साई, पो०- हल्दी पोखर, थाना - कोवाली, जिला - पूर्वी सिंहभूम

प्रतिवादी जिला आपूर्ति पदाधिकारी, पूर्वी सिंहभूम ।

आदेश की तिथि	हस्ताक्षरयुक्त आदेश	कार्यालय अभ्युक्ति

आदेश की तिथि	हस्ताक्षरयुक्त आदेश	कार्यालय अभ्युक्ति
28.02.24.	**वाद सं0–08 / 2024** परिवादी श्री कार्तिक सरदार, पिता–स्व0 परेश सरदार, ग्राम–गोमिया साई, पो0–हल्दी पोखर, थाना–कोवाली, जिला–पूर्वी सिंहभूम का परिवाद पत्र व्हाटसएप्प के माध्यम से आयोग को प्राप्त हुआ है। परिवादी द्वारा सूचित किया गया है कि उनके द्वारा दिनांक–30.11.2023 को आयोग के व्हाटसएप्प पर विगत दो माह से राशन नहीं मिलने की शिकायत की गई थी जिसे आयोग द्वारा पत्रांक–WA/885/2023 दिनांक–03.11.2023 द्वारा कार्रवाई हेतु प्रेषित किया गया था। परिवादी का आरोप है कि उनके द्वारा समर्पित शिकायत पत्र पर ना तो जिला आपूर्ति पदाधिकारी और ना ही जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी द्वारा कोई कार्रवाई की गई। बल्कि साजिश के तहत् उनके राशन कार्ड सं0–202006350802 को Delete कर दिया गया। परिवादी द्वारा अपने राशन कार्ड को पुनः चालू कराने एवं कार्ड Delete करने वाले अधिकारी के विरूद्ध कार्रवाई का अनुरोध किया गया है। प्राप्त परिवाद पत्र पर आयोग स्तर से सुनवाई किये जाने का निर्णय लिया जाता है। इस हेतु सुनवाई की तिथि दिनांक–11.03.2024 को निर्धारित की जाती है। प्रस्तुत मामले में जिला आपूर्ति पदाधिकारी, पूर्वी सिंहभूम को प्रतिवादी बनाया जाय। प्राप्त परिवाद–पत्र की प्रति प्रतिवादी को भेजते हुए उक्त सुनवाई के दौरान अपीलकर्ता को वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से एवं जिला आपूर्ति पदाधिकारी, पूर्वी सिंहभूम को सशरीर आयोग कार्यालय में उपस्थित होकर अपना पक्ष रखने हेतु उभय पक्ष को नोटिस निर्गत करें। दिनांक–11.03.2024 को अपराह्न 12:00 बजे रखें। **(शबनम परवीन)** सदस्य, झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची। **(हिमांशु शेखर चौधरी)** अध्यक्ष, झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची।	

C:\Users\PC-06\Dropbox\Anju\आदेश. . . docx190

आदेश की तिथि	हस्ताक्षरयुक्त आदेश	कार्यालय अभ्युक्ति
11.03.2024	**वाद संख्या–08 / 2024** अभिलेख उपस्थापित। प्रथम पक्ष की ओर से परिवादी श्री कार्तिक सरदार, पिता–स्व0 परेश सरदार, ग्राम–गोमिया साई, पो0–हल्दी पोखर, थाना–कोवाली, जिला–पूर्वी सिंहभूम दूरभाष के माध्यम से उपस्थित। द्वितीय पक्ष की ओर से जिला आपूर्ति पदाधिकारी, पूर्वी सिंहभूम अनुपस्थित। आयोग जिला आपूर्ति पदाधिकारी, पूर्वी सिंहभूम को निर्देश देता है कि परिवादी के शिकायत–पत्र में वर्णित शिकायतों का समाधान कर आयोग के समक्ष अपना लिखित प्रतिवेदन पेश करें। मामले में सुनवाई की अगली तिथि दिनांक–28.03.2024 को निर्धारित की जाती है। आदेश की प्रति उभयपक्ष को भेजें। दिनांक–28.03.2024 को रखें। **(शबनम परवीन)** सदस्य, राज्य खाद्य आयोग, राँची। **(हिमांशु शेखर चौधरी)** अध्यक्ष, राज्य खाद्य आयोग, राँची। E:\Ziyaul\Vinod Sir\Court order, notice & court note\Commission order.docx159	

आदेश की तिथि	हस्ताक्षरयुक्त आदेश	कार्यालय अभ्युक्ति

वाद संख्या–08/2024

28.03.2024

अभिलेख उपस्थापित। प्रथम पक्ष की ओर से परिवादी श्री कार्तिक सरदार, पिता–स्व0 परेश सरदार, ग्राम0–गोमिया साई, पो0–हल्दी पोखर, थाना–कोवाली, जिला–पूर्वी सिंहभूम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित। द्वितीय पक्ष की ओर से जिला आपूर्ति पदाधिकारी, पूर्वी सिंहभूम अनुपस्थित।

आयोग के पिछले आदेश के अनुपालन का कोई प्रमाण जिला आपूर्ति पदाधिकारी, पूर्वी सिंहभूम द्वारा नहीं भेजा गया है और आज की सुनवाई में जिला आपूर्ति पदाधिकारी न तो व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हैं न ही दूरभाष पर। ऐसे में आयोग अपर समाहर्त्ता–सह–जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी, पूर्वी सिंहभूम को निदेश देता है कि वो इस बात की जांच कर आयोग को अपना प्रतिवेदन समर्पित करें कि शिकायतकर्ता द्वारा राशन नहीं मिलने की शिकायत करने पर उनका राशन कार्ड किस परिस्थिति में निरस्त कर दिया गया है। आयोग अपर समाहर्त्ता–सह–जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी को निदेश देता है कि वो शिकायतकर्ता के साथ तत्काल न्याय करना सुनिश्चित करें और उन्हें खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत् मिलने वाली सुविधायें तत्काल बहाल कराना सुनिश्चित करें। जिला आपूर्ति पदाधिकारी, पूर्वी सिंहभूम इस वाद के पिछली सुनवाई, जो कि दिनांक–11.03.2024 को थी, में भी अनुपस्थित थे। उपायुक्त, पूर्वी सिंहभूम जिला आपूर्ति पदाधिकारी के इस स्वेच्छाचारिता के संबंध में जिला आपूर्ति पदाधिकारी से स्पष्टीकरण प्राप्त कर अपने मन्तव्य के साथ आयोग को उपलब्ध कराएँ।

मामले की अगली सुनवाई दिनांक–12.04.2024 को निर्धारित की जाती है। आदेश की प्रति उभय पक्ष को भेजें। दिनांक–12.04.2024 को रखें।

(शबनम परवीन)	**(हिमांशु शेखर चौधरी)**
सदस्य,	अध्यक्ष,
राज्य खाद्य आयोग, राँची।	राज्य खाद्य आयोग, राँची।

D:\Premlata\Court 1.docx15

आदेश की तिथि	हस्ताक्षरयुक्त आदेश	कार्यालय अभ्युक्ति
12.04.2024	**वाद संख्या–08 / 2024** अभिलेख उपस्थापित। प्रथम पक्ष की ओर से परिवादी श्री कार्तिक सरदार, पिता–स्व0 परेश सरदार, ग्राम–गोमिया, साई, पो0–हल्दा पोखर, थाना– कोवाली, जिला पूर्वी सिंहभूम अनुपस्थित। द्वितीय पक्ष की ओर से जिला आपूर्ति पदाधिकारी, पूर्वी सिंहभूम उपस्थित। आयोग के सुनवाई में जिला आपूर्ति पदाधिकारी, पूर्वी सिंहभूम व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर ये बता रहे हैं कि शिकायतकर्ता का दो माह को राशन उपलब्ध करा दिया गया है और नियमित राशन उपलब्ध हो इसके लिए नया राशन कार्ड बनाने की प्रक्रिया प्रारम्भ कर दी गई है। शिकायतकर्ता दूरभाष पर उपलब्ध नहीं हो पाए। अतः नैसर्गिक न्याय के तहत् शिकायतकर्ता को अपना पक्ष रखने का एक अवसर दिया जा रहा है। अगली सुनवाई तक यदि शिकायतकर्ता का पक्ष नहीं आया तो आयोग ये मानने को बाध्य होगा कि शिकायतकर्ता की समस्या का निदान हो गया है। अगली सुनवाई में जिला आपूर्ति पदाधिकारी की उपस्थिति अनिवार्य नहीं है। शिकायतकर्ता का पक्ष आने के बाद आयोग जिला आपूर्ति पदाधिकारी को यथोचित निदेश निर्गत करेगा। मामले की अगली सुनवाई दिनांक–29.04.2024 को निर्धारित की जाती है। आदेश की प्रति उभय पक्ष को भेजें। दिनांक–29.04.2024 को अपराह्न 12:00 बजे रखें। **(शबनम परवीन)** सदस्य, राज्य खाद्य आयोग, राँची। (हिमांशु शेखर चौधरी) अध्यक्ष, राज्य खाद्य आयोग, राँची। D:\Premlata\Court 1.docx25	

आदेश की तिथि	हस्ताक्षरयुक्त आदेश	कार्यालय अभ्युक्ति
29.04.2024	**वाद संख्या–08 / 2024** अभिलेख उपस्थापित। प्रथम पक्ष की ओर से परिवादी श्री कार्तिक सरदार, ग्राम–गोमिया साई, पो0–हल्दी पोखर, थाना–कोवाली, पूर्वी सिंहभूम वीडियो कॉल के माध्यम से उपस्थित। द्वितीय पक्ष की ओर से जिला आपूर्ति पदाधिकारी, पूर्वी सिंहभूम अनुपस्थित। शिकायतकर्ता का कहना है कि आयोग में शिकायत दर्ज कराने के बाद उन्हें दो माह का बकाया राशन उपलब्ध करा दिया गया है। जबकि राशन कार्ड से नाम delete होने के बाद दोबारा उनका नाम न तो जोड़ा गया है और न ही नया राशन कार्ड बनाया गया है। नया राशनकार्ड बनाने की एक प्रक्रिया है। प्रक्रिया में कुछ समय लग सकता है। ऐसे में आयोग जिला आपूर्ति पदाधिकारी को निदेश देता है कि वो शिकायतकर्ता का नया राशनकार्ड बनाने की प्रक्रिया में तेजी लाते हुए उनका राशन कार्ड बनाना सुनिश्चित करें और जबतक राशन कार्ड नहीं बनता है तबतक उन्हें राशन उपलब्ध कराये जाने का विकल्प तलाशें। इस निदेश के साथ आयोग इस वाद को निष्पादित करता है। आदेश की प्रति उभयपक्ष को भेजें। **(शबनम परवीन)** सदस्य, राज्य खाद्य आयोग, राँची। **(हिमांशु शेखर चौधरी)** अध्यक्ष, राज्य खाद्य आयोग, राँची। D:\Premlata\Court 1.docx27	